

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

पत्रांक- 940 / 14-1 दिनांक, इटावा, सितम्बर, 19, 2022

सेवा में,

महाप्रबन्धक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
टोरन्ट गैस प्रा0लि0 कानपुर।
तृतीय तल, साई पैलेस एच0आई0जी0
1-बी चन्द्रविहार लखनपुर कानपुर-208002।

विषय- जनपद इटावा के प्रस्तावक विभाग मैसर्स टोरन्ट गैस प्रा0लि0 गोमती नगर लखनऊ द्वारा इटावा-कानपुर मार्ग नया एन0एच0-19 के किमी0-348 (बमहौरा हुमांयुपुर) से 323.55 (मानिकपुर मोड) तक दायीं पटरी पर कुल 1.46265 हे0 क्षेत्रफल भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0-FP/UP/Pipeline/152073/2022

सन्दर्भ- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का पत्रांक-पी-305/81-2-2022-800(307)/2022 दिनांक-12.09.2022

महोदय,

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करते हुये रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. बिन्दु संख्या-31 के क्रम प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक-05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक-06.01.2022 के तहत दिये गये प्राविधानों के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 1.46265 हे0 संरक्षित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि के रूप कुल 1400897.00 (चौदह लाख आठ सौ सत्तानवे) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के सुस्पष्ट अनुपाल आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अतुलकान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

पत्रांक / समुदिनांक:

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अतुलकान्त शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना

टोरेन्ट गैस प्रा० लि० कानपुर द्वारा इटावा कानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०२ (नया राजमार्ग-१९) के किमी० ३४८.०० से ३२३.५५ तक दायीं पटरी पर सी०एन०जी० पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु १.४६२६५ हे० संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्नवत है:-

1	प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल	1.46265
2	प्रभावित वन भूमि का वनस्पति घनत्व	0.1
3	प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास	III
4	प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास एवं वनस्पति घनत्व वाली भूमि का प्रति हेक्टेयर शुद्ध वर्तमान मूल्य	9,57,780.00
5	प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	$9,57,780.00 \times 1.46265$ $= 14,00,896.92$ or 14,00,897.00

शब्दों में- रुपये चौदह लाख चौदह आठ सौ सत्तानवे रू० मात्र

उपरोक्त धनराशि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० कानपुर (उ०प्र०) द्वारा देय होगी। भविष्य में यदि उक्त दर में बढोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी जिसके लिये आवश्यक वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक-15.07.2022

स्थान-इटावा

(अतुलकान्त शुकला)
(अतुलकान्त शुकला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी विभाग, इटावा